

न्यायालय श्रीमान् सप्टम महोदय ग्वालियर राजस्व मण्डल
ग्वालियर (म0प्र0)



44

निगरानी 2368-II-15

1. पप्पू तनय स्व0 महादेव साकेत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
2. मुन्नालाल तनय स्व0 महादेव उम्र 38वर्ष पेशा खेती,
दोनों निवासी ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील गोपद बनास जिला-सीधी
(म0प्र0) आवेदकगण

बनाम

1. लक्षिमन् तनय ददई चमार उम्र 47 वर्ष पेशा खेती,
2. मु0 सोनिया वेवा पत्नी छोटेलाल चमार उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
3. सुनील तनय स्व0 छोटेलाल चमार उम्र 14 वर्ष पेशा-विद्याध्ययन,
4. सरस्वती पुत्री स्व0 छोटेलाल उम्र 12 वर्ष पेशा विद्याध्ययन
5. गोल्डी पुत्री स्व0 छोटेलाल साकेत उम्र 10 वर्ष, पेशा विद्याध्ययन,
अनावेदक क्रमांक 3 ता 5 नावालिक जरिए बली संरक्षिका माता सोप्रिया
देवा छोटेलाल चमार
6. फुलमन्ती पुत्री ददई चमार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य,
7. लीलावती पुत्री ददई चमार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य,
8. बुटनी पुत्री ददई चमार उम्र 38 वर्ष पेशा गृहकार्य,
9. बिटिया (लल्लू) पुत्री ददई चमार उम्र 40 वर्ष पेशा गृहकार्य,
10. जयमन्ती पुत्री ददई चमार उम्र 55 वर्ष पेशा गृहकार्य,
11. ददुली तनय रामदयाल चमार उम्र 75 वर्ष पेशा खेती,
12. मु0 चौरसिया वेवा महादेव चमार उम्र 80 वर्ष पेशा गृहकार्य,
13. नर्वदा तनय महादेव चमार उम्र 58 वर्ष पेशा खेती,
14. कैलाश तनय महादेव चमार उम्र 48 वर्ष पेशा खेती,
15. फक्कड दास साकेत तनय महादेव साकेत उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
16. छोटकरु तनय स्व0 महादेव साकेत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
सभी निवासी ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
..... अनावेदकगण

पुनःरीक्षण विरुद्ध आदेश
न्यायालय तहसीलदार महोदय
गोपद बनास गिर्द- II
के प्र. क्र. 05 अ 27/2012-13
मे पारित अंतरिम आदेश
दिनांक 25.04.2015 | 22-6-15
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

मानद्वर,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित पुनः रीक्षण प्रस्तुत है:-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय गोपद बनास
गिर्द-II के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 त 10 के द्वारा ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील

मुन्नालाल

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2368-दो/8

जिला - सीधी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 13/8/19 | <p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...16.11.18... वी.प.ब.ना.स. के प्रकरण क्रमांक ...5/अ.स.1/12-13... में पारित आदेश दिनांक 25.09.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु सीधी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19 को सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> | <p>सीधी</p> |